

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम
 प्रकरण संख्या अन्तर्गत धारा.....

प्रार्थना पत्र

दिनांक आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

3/3/22 अधिवक्तागण उपस्थित। राजीनामा पेश करने हेतु समय चाहिए। RTI की अवधि आगामी पेशी तक बर्हाई जाती है। पत्रावली वास्ते पेश करने राजीनामा दिनांक 07/03/22 को पेश हो।

07/03/22 अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA के मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25(A) RTA में निगूण कर स्वीकार किया गया है। अब इस प्रकार में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में दिनांक 21/02/2018 की अस्थाई निर्णयवाला भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विणिति होकर नम्बर से कम होकर समाप्त होकर है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

1
2
3

1.
2.